

छ.ग.राज्य ओपन स्कूल, रायपुर

माइग्रेशन (प्रतिलिपि/मूल)/अंकसूची प्रतिलिपि/अंक सूची का सत्यापन/अंकसूची में सुधार करने हेतु सामान्य निर्देश

- (1) आवेदक की पासपोर्ट साइज की स्वयं के द्वारा प्रमाणित फोटो।
- (2) शपथ पत्र की मूल प्रति।

नाम/पिता का नाम/माता का नाम, उपनाम एवं जन्मतिथि में त्रुटि संशोधन किए जाने हेतु आवश्यक निर्देश

छात्रों के अंकसूची में नाम/पिता का नाम/माता का नाम, उपनाम एवं जन्मतिथि में त्रुटि हो जाने पर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करते हैं जिनमें आवश्यकतानुसार दस्तावेज संलग्न नहीं रहते हैं अतः त्रुटि सुधार हेतु निम्नानुसार आवश्येक दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना है :-

(3) छात्र/छात्रा के नाम, पिता के नाम, माता के नाम अथवा उपनाम में त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक दस्तावेज -

1. कक्षा 5वी./8वी./10वी. अंकसूची की मूल तथा छायाप्रति।
2. शपथ पत्र/जन्म प्रमाण पत्र।
3. संशोधन शुल्क रु.100/- का बैंक ड्राफ्ट (प्रति अंकसूची) जो सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर को देय है।
4. छात्र द्वारा स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा (13×28 m.m. [≡]) आवश्यक रजिस्टर्ड डाक अनुसार डाक टिकट चस्पा कर संलग्न करे।

उक्त दस्तावेजों के आधार पर छात्रों के नाम, पिता के नाम, माता के नाम, अथवा उपनाम के त्रुटि में स्पेलिंग में हुई त्रुटि को सुधार किया जावेगा। नाम परिवर्तन नहीं किया जावेगा, केवल विशेष प्रकरण प्राप्त होने की स्थिति में मान. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नाम संशोधन अनुमोदन की स्थिति में किया जाना है।

(4) छात्र/छात्रा के जन्मतिथि में त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक दस्तावेज -

1. कक्षा 5वी./8वी./10 वी. अंकसूची की मूल तथा छायाप्रति।
2. शपथ पत्र/जन्म प्रमाण पत्र/दाखिल खारिज पंजी की सत्यापित छायाप्रति जो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी प्रतिहस्ताक्षरित हों।
3. संशोधन शुल्क रु. 100/- का बैंक ड्राफ्ट (प्रति अंकसूची) जो सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर को देय हो।
4. छात्र द्वारा स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा (13×28 m.m. [≡]) आवश्यक रजिस्टर्ड डाक अनुसार डाक टिकट चस्पा कर संलग्न करे।

यदि कोई छात्र/छात्रा एक बार त्रुटि सुधार के पश्चात् पुनः नाम/पिता का नाम/माता का नाम/उपनाम/जन्मतिथि में त्रुटि सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में सचिव महोदय की अनुमोदन की स्थिति में पुनः संशोधन किया जाना है।

उक्त दस्तावेजों के आधार पर छात्रों की जन्मतिथि में त्रुटि हो जाने पर छ.ग.मा.शि.मं. एवं छ.ग.राज्य ओपन स्कूल, रायपुर के नियमानुसार परीक्षाफल घोषित होने की तिथि के तीन वर्ष के भीतर ही सुधार किया जावेगा एवं उसके पश्चात् विशेष प्रकरण प्राप्त होने की स्थिति में मान. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अनुमोदन पश्चात् संशोधन किया जाना है।

- नोट :-**
1. आवेदक संशोधन हेतु भली भांति अंकसूची का अवलोकन कर लें ताकि प्रथम बार में ही नाम, पिता के नाम, माता के नाम, पति का नाम एवं जन्मतिथि अथवा उपनाम का संशोधन किया जा सकें।
 2. आवेदक अपने स्थायी पते को सावधानी पूर्वक लिफाफे में प्रविष्टि करें अपूर्ण या गलत भरे जाने पर स्वयं जिम्मेदार होंगे।

Asm
27.7.19

सचिव
छ.ग.राज्य ओपन स्कूल,
रायपुर

अंकसूची सत्यापन

प्रपत्र - आर - 0015 (B)

टीप :-

1. त्रुटि संशोधन सुधार हेतु शुल्क 100/- प्रति अंकसूची (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये पृथक-पृथक)
2. माइग्रेसन हेतु शुल्क 100/- प्रति माइग्रेसन (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये पृथक-पृथक)
3. अंकसूची में जन्मतिथि त्रुटि संशोधन हेतु शुल्क 100/- प्रति (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये पृथक-पृथक)
4. जी.डी. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर के नाम पर देय होगा या यूको बैंक के खाता क्रं. 18340110000243, आई.एफ.एस.सी. कोड नं. UCBA0001834 पेंशन बाड़ा रायपुर में एवं छ.ग.राज्य ग्रामीण बैंक के खाता क्रं. 77019566848, आई.एफ.एस.सी. कोड नं. SBIN0RRCHGB जमा कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर

डुप्लीकेट अंकसूची/माइग्रेशन

प्रपत्र – आर – 0015 ©

प्रति,

सचिव,

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल,

रायपुर

विषय :- डुप्लीकेट अंकसूची/माइग्रेशन प्रदान करने बाबत।

मैंरी कक्षा की डुप्लीकेट अंकसूची/माइग्रेशन प्रदान करने हेतु मुझसे संबंधित जानकारी निम्नलिखित है :-

- नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में)
- पिता/पति का नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में)
- माता का नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में)
- कक्षा का नाम – X/XII 5. परीक्षा (मुख्य/अवसर) वर्ष II,III,IV,V,VII,VIII,IX
- परीक्षा का रोल नम्बर 7. परीक्षा केन्द्र क्रमांक
- परीक्षा केन्द्र का नाम
- संलग्न शुल्क : बैंक ड्राफ्ट क्रं. /रसीद क्रं. दिनांक
- रुपये (अंकों में) शब्दों में बैंक का नाम
- बैंक शाखा शाखा कोड

केवल डुप्लीकेट अंकसूची/माइग्रेशन हेतु उपयोग में लायें

स.क्रं.	कक्षा	परीक्षा वर्ष	केन्द्र क्रमांक	रोल नम्बर
1.				
2.				
3.				

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कक्षा की मुख्य/अवसर परीक्षा वर्ष

में उत्तीर्ण की हूँ/किया हूँ, किन्तु मैंरा/मैंरी डुप्लीकेट अंकसूची/माइग्रेशन हेतु आवेदन किया है। मुझे डुप्लीकेट अंकसूची/माइग्रेशन प्रदान करने का कष्ट करेंगे एवं मुझसे संबंधित उपरोक्त समस्त जानकारी सत्य है, किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

संलग्न दस्तावेज (✓ करें निर्देशानुसार)

- शुल्क परीक्षार्थी के स्वयं के हस्ताक्षर
परीक्षार्थी का नाम
पत्र व्यवहार का पूर्ण पता
- शपथ पत्र जिला राज्य
पिन कोड मो.नं.
ई-मेल आई.डी.
आधार नं.
आधार नं.

- टीप : –
- त्रुटि संशोधन सुधार हेतु शुल्क 100/- प्रति अंकसूची (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये पृथक-पृथक)
 - माइग्रेशन हेतु शुल्क 100/- प्रति माइग्रेशन (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये पृथक-पृथक)
 - अंकसूची में जन्मतिथि त्रुटि संशोधन हेतु शुल्क 100/- प्रति (हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के लिये पृथक-पृथक)
 - डी.डी. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर के नाम पर देय होगा या यूको बैंक के खाता क्रं. 18340110000243, आई.एफ.एस.सी. कोड नं. UCBA0001834 पेशन बाड़ा रायपुर में एवं छ.ग.राज्य ग्रामीण बैंक के खाता क्रं. 77019566848, आई.एफ.एस.सी. कोड नं. SBIN0RRCHGB जमा कर सकते हैं।